

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/798/2016/10-11/2205 भोपाल, दिनांक 29-7-17
प्रेषक:-

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना (भा.व.से.)

सहायक वन महानिरीक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:- होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य से वनग्राम सांकई
टोला-II को होशंगाबाद वन मण्डल के परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक
पी0एफ0-141 एवं 142 में विस्थापित किए जाने हेतु 150.00 हेक्टेयर वन भूमि का
वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/F.No. 8-17/2017-FC दिनांक 29.06.2017

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
आपने विषयांकित प्रकरण के विस्थापन के प्रस्ताव की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति
प्रदान की गई है। प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त क्रमांक 1 से 16
का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद ने अपने पत्र दिनांक 26.07.2017 द्वारा
प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/798/2016/10-11/2205

भोपाल, दिनांक 29-7-17

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल।

2. मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

4. वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ भू प्र./

4393

होशंगाबाद, दिनांक 26/07/2017

प्रति,

✓ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू प्रबंधक) म.प्र. भोपाल

विषय :- सतपुडा टाईगर रिजर्व वनग्राम साकई टोला 2 वनग्राम माना भाग एक, वनग्राम मालनी भाग 1 एवं माना भाग दो को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विस्थापन बाबत।

संदर्भ:- अ.प्र.मु.व.सं./भू.प्र./ भोपाल का पत्र क/1/5/800/2016/1/10/11 1881 दिनांक 3.7.2017 एवं 1883 एवं 1885 एवं 1989 दिनांक 3.7.17 एवं क्षेत्र संचालक होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/4935 दि 24.7.17

:-:-

विषयांकित प्रकरणांतर्गत सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य अंतर्गत ग्राम साकई टोला भाग 2, वनग्राम माना भाग एक, वनग्राम मालनी भाग 1, एवं माना भाग दो को पुनर्ववास/विस्थापित किये जाने हेतु भारत शासन एवं राज्य शासन की प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शासन द्वारा पृथक-पृथक शर्त क्रमांक 01 से 16 तक के पालन हेतु वचन पत्र भी संलग्न है। कृपया प्रकरण में अंतिम स्वीकृति जारी कराई जाने हेतु अनुरोध है।

(के.के.भारद्वाज)

मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन
वनसंरक्षक होशंगाबाद वृत्त
25/7

पृ.क्रमांक/ भू प्र./

होशंगाबाद, दिनांक / 07/2017

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्य प्राणी भोपाल

क्षेत्र संचालक सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद

वनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद/हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवक लिपिक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्य प्रदेश, भोपाल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्य प्रदेश, भोपाल

(के.के.भारद्वाज)

मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन
वनसंरक्षक होशंगाबाद वृत्त
25/7

भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का ज्ञाप क्रमांक F.No. 8-17/2017-FC दिनांक 29.06.2017 से वनग्राम सांकर्ड-2 के पुनर्वास हेतु कक्ष क्र. पी.-141-142 में वन संरक्षण अधिनियम के तहत 150.00 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु अधिशेषित शर्तों के पालन हेतु वचन पत्र

क्र.	अधिशेषित शर्त	शर्तों का पालन प्रतिवेदन
1	The status of the forest land diverted shall remain unchanged;	सहमत
2	The User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required under the said Act;	विस्थापन कार्य हेतु Environment Clearance की आवश्यकता नहीं है।
3	The forest land vacated by the villagers inside the Satpura Tiger Reserve shall be afforested/developed as per the prescriptions of the management plan of the Tiger Reserve;	शर्त का पालन किया जावेगा।
4.	100 % enumeration of the existing tree growth in the proposed site be carried out and all fully grown trees like Tamairnd, Neem etc. which are part and parcel of the daily life of villagers are retained;	शर्त का पालन किया जावेगा।
5	State Forest Department at appropriate level shall be made part of the body responsible for preparing detailed layout plan of the village so as to ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other government/public complexes, around the boundaries of the village, as natural groves;	शर्त का पालन किया जावेगा।
6	Connectivity of the proposed residential site of the village to the metal road should be worked out in advance	शर्त का पालन किया जावेगा।
7	No labour camp shall be established on the forest land;	किसी भी तरह का श्रमिक शिविर (Labour Camp) नहीं लगाया जावेगा।

8	Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department;	कम वृक्षों वाली क्षेत्र चयनित किया गया है, जिसमें पोलाई एवं जलाऊ वृक्षों की संख्या ज्यादा है। फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा कटाई का कार्य विभागीय तौर वन विभाग की कार्यआयोजना के अनुरूप कराया जावेगा वृक्षों की कटाई में व्यय होने वाली राशि का वहन सतपुड़ा टाइनगर रिजर्व द्वारा किया जावेगा।
9	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel;	विस्थापन योजना में MFCA के दिशा निर्देश अनुसार जलाऊ वृक्षों को मेड़ों पर रोपण का प्रावधान किया जावेगा। विस्थापितों की विकास योजना में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रावधान किया जावेगा।
10	The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, using four feet high RCC Pillar inscribed with the serial number, DGPS coordinates, forward and backward bearings and distance from adjoining pillars etc;	विस्थापन योजना के निर्देशों के अनुरूप प्रावधान किया जावेगा। क्षेत्र का अस्थाई सीमांकन कर लिया गया है। क्षेत्र के हस्तांतरण के पश्चात RCC Pillars का निर्माण करा कर सीरियल नं., जी.पी.एस. निर्देशांक आदि डाले जावेगे।
11	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person;	वन भूमि का विस्थापन के अतिरिक्त अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जावेगा।
12	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	Layout Plan को केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदला जावेगा।
13	State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 03.08.2009, read with letter 11-9/98-FC (pt.) dated 05.07.2013, in support thereof;	प्रस्तावित भूमि पर Forest Rights Act, 2006, के तहत किसी प्रकार के भू-अधिकार दावे न तो लंबित है न ही प्रस्तावित है। (विस्थापन प्रस्ताव के साथ प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रमांक 213-214 तक संलग्न किया गया है।)

14	The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional office and this Ministry by the end of March every year regularly:	शर्त का पालन किया जावेगा।
15	Any other conditions that the Regional office, Bhopal of this Ministry and State Govt. may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऐसे कोई भी अनुबंध जारी नहीं किये गये। भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस तरह के अनुबंध, शर्त लगाई जाती है तो उपयोग कर्ता संस्था (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वन विभाग) को मान्य होगी।
16	The State Government shall ensure compliance on the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines & Hon'ble Court (S) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	उपयोग कर्ता संस्था (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वन विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम, नियम, दिशा निर्देशों का विस्थापन के दौरान अनुपालन किया जावेगा।

उपरोक्त शर्त क्र. 1 से 16 तक का पालन करने हेतु क्रियान्वयन एजेंसी (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद वन विभाग) पूर्णतः सहमत एवं वचनबद्ध है।

(विजय सिंह)
"भा.व.से."
वनमण्डलाधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल
होशंगाबाद

(प्र.क. नागर)
"भा.व.से."
मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
होशंगाबाद

एक का प्रतः एवं
द्वितीय प्रतः
होशंगाबाद वन